इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 129] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

क्र. एफ. बी-1-49-2010-2-पांच (07).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के खण्ड (घ), (छ) तथा (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 19 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(2) नियम 16 और नियम 17 के अधीन अनुज्ञात की गई सीमाओं से अधिक सभी कमियों पर, एफ.एल.-9, एफ.एल.-9-क, एफ.एल.-10-क या एफ.एल.-10-ख का अनुज्ञप्तिधारक विदेशी मदिरा पर तत्समय देय ड्यूटी दर से अनधिक की दर से शास्ति जैसा कि आबकारी आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाए के भुगतान के लिए दायी होगा :

परन्तु यदि आबकारी आयुक्त या प्राधिकृत अधिकारी को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाए कि ऐसी अधिक कमी या हानि कतिपय अपरिहार्य कारणों जैसे अग्नि या दुर्घटना से कारित हुई थी तथा इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट, संबंधित पुलिस थाने में की गई थी, तो वह इस उपनियम के अधीन अधिरोपित की जाने योग्य शास्ति का अधित्यजन कर सकेगा.".

1. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

क्र. बी-1-49-2010-2-पांच (07).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-49-2011-2-पांच (07), दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011

No. F-B-1-49-2011-2-V (07).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (d), (g) and (h) of sub-section (2) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 19, for sub-rule (2), the following sub-rule be substituted, namely :—

"(2) On all deficiencies in excess of the limits allowed under rule 16 and rule 17, the F.L.-9, F.L.-9-A, F.L.-10-A or F.L.-10-B Licensee shall be liable to pay penalty at a rate not exceeding the duty payable on foreign liquor at that time, as may be imposed by the Excise Commissioner or any officer authorised by him :

Provided that if it be proved to the satisfaction of the Excise Commissioner or the authorised officer that such excess deficiency or loss was due to some unavoidable causes like fire or accident and its First Information Report was lodged in concerned Police Station, he may waive the penalty imposable under this sub-rule.".

1. This notification shall come into force from the date of its publication in the Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.